प्रेस विज्ञप्ति

03/06/2026

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), देहरादून ने डीएवी (पीजी) कॉलेज छात्रवृत्ति घोटाला प्रकरण में आरोपी व्यक्तियों श्री पीयूष चंद्र भटनागर एवं श्रीमती रंजना रावत के विरुद्ध धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के अंतर्गत दिनांक 29.05.2026 को माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), देहरादून के समक्ष अभियोजन परिवाद प्रस्तुत किया है।

ईडी द्वारा यह जांच उत्तराखंड पुलिस द्वारा भारतीय दंड संहिता, 1860 की विभिन्न धाराओं के अंतर्गत दर्ज प्राथमिकी के आधार पर आरंभ की गई थी। उक्त प्राथमिकी तथा तत्पश्चात् न्यायालय में प्रस्तुत आरोप-पत्र में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों हेतु स्वीकृत छात्रवृत्ति निधि को देना बैंक में खोले गए एक अनधिकृत बैंक खाते के माध्यम से कपटपूर्ण ढंग से अन्यत्र स्थानांतरित कर गबन किए जाने का आरोप लगाया गया था। जांच में यह तथ्य प्रकाश में आया कि उक्त खाते में छात्रवृत्ति निधि के अतिरिक्त डीएवी (पीजी) कॉलेज के अन्य खातों से धनराशि का अंतरण तथा वर्ष 2009 से 2014 की अवधि के दौरान लगभग ₹2.27 करोड़ की ब्याज आय भी प्राप्त हुई थी।

पीएमएलए के अंतर्गत की गई जांच से यह भी ज्ञात हुआ कि यद्यपि डीएवी (पीजी) कॉलेज की प्रबंध समिति द्वारा देना बैंक की लक्ष्मी रोड शाखा में बैंक खाता खोलने की स्वीकृति प्रदान की गई थी, तथापि शाखा के नाम में कूटरचित परिवर्तन कर डीएवी (पीजी) कॉलेज के कर्मचारी श्री पीयूष चंद्र भटनागर एवं उनके सहयोगियों द्वारा देना बैंक की जीएमएस रोड शाखा में एक अनधिकृत बैंक खाता खोला गया था।

जांच में यह स्थापित हुआ कि डीएवी (पीजी) कॉलेज में छात्रवृत्ति प्रभारी/सहायक लिपिक (तत्पश्चात कार्यालय अधीक्षक) के रूप में कार्यरत श्री पीयूष चंद्र भटनागर अपराध से अर्जित आय के सृजन, छिपाव, आधिपत्य तथा उपयोग में केंद्रीय भूमिका निभा रहे थे। उन्होंने बैंक खाता खोलने की प्रक्रिया में कपटपूर्ण कृत्य करते हुए स्वयं को खाते के संचालक के रूप में सम्मिलित किया तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों हेतु स्वीकृत छात्रवृत्ति निधि का व्यवस्थित रूप से दुरुपयोग किया।

जांच के दौरान यह भी पाया गया कि अनधिकृत खाते में जमा कुल धनराशि में से ₹42.50 लाख नकद आहरित किए गए, ₹66.50 लाख विभिन्न व्यक्तियों के नाम जारी धनादेशों के माध्यम से निकाले गए तथा ₹99.43 लाख की राशि श्री पीयूष चंद्र भटनागर के विभिन्न व्यक्तिगत बैंक खातों में अंतरित की गई। इसके उपरांत उक्त धनराशि को अनेक बैंक खातों के माध्यम से परतबद्ध किया गया तथा स्वयं एवं परिवार के सदस्यों के नाम पर बीमा प्रीमियमों के भुगतान, नकद निकासी, खातों के मध्य अंतरण तथा अन्य व्यक्तिगत प्रयोजनों के लिए उपयोग में लाया गया।

जांच में आगे यह भी सामने आया कि छात्रवृत्ति समन्वयक के रूप में कार्यरत तथा डीएवी (पीजी) कॉलेज के बैंक खातों की अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता श्रीमती रंजना रावत ने अपराध से अर्जित आय के सृजन एवं धन शोधन की प्रक्रिया को सुगम बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने स्वीकार किया कि उन्होंने देना बैंक खातों से संबंधित अनेक रिक्त धनादेशों पर हस्ताक्षर किए थे, जिनका बाद में छात्रवृत्ति निधि की निकासी एवं अन्यत्र अंतरण के लिए उपयोग किया गया। जांच से यह भी स्पष्ट हुआ कि इन हस्ताक्षरित धनादेशों के माध्यम से अनधिकृत वित्तीय लेनदेन तथा विभिन्न लाभार्थियों एवं बैंक खातों के जरिए अपराध से अर्जित आय की परतबद्धता संभव हुई।

जांच में यह भी पाया गया कि अपराध से अर्जित आय का एक भाग श्री पीयूष चंद्र भटनागर एवं उनके परिवार के सदस्यों के नाम पर बीमा पॉलिसियों, बैंक जमा राशियों तथा एक होंडा एक्टिवा एच-स्मार्ट (125 सीसी) वाहन के रूप में चल संपत्तियों में रूपांतरित किया गया था। तदनुसार, दिनांक 27.05.2026 को जारी अनंतिम कुर्की आदेश के माध्यम से ₹7.86 लाख मूल्य की चल संपत्तियों को अनंतिम रूप से कुर्क किया गया।

जांच के दौरान संकलित साक्ष्यों, जिनमें बैंक अभिलेख, दस्तावेजी साक्ष्य तथा पीएमएलए की धारा 50 के अंतर्गत अभिलिखित कथन सम्मिलित हैं, के आधार पर ईडी ने धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 की धारा 3 एवं 4 के अंतर्गत दंडनीय धन शोधन अपराध के लिए माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), देहरादून के समक्ष अभियोजन परिवाद प्रस्तुत किया है।

DIRECTORATE OF ENFORCEMENT

DAV COLLEGE SCHOLARSHIP SCAM

ED FILES PROSECUTION COMPLAINT

Against Two Accused Persons

Filed on: 29.05.2026

1 SCHOLARSHIP FUNDS DIVERTED



- Unauthorized Bank Account Opened
- Scholarship Funds Received

Rs. 2,27,00,171.95/-
(2009–2014)

2 MONEY TRAIL ESTABLISHED

- Cash Withdrawals **Rs. 42,50,000/-**
- Cheques Issued to Multiple Persons **Rs. 66,50,000/-**
- Transfers to Personal Accounts **Rs. 99,43,000/-**
- Layering through Multiple Bank Accounts
- Insurance Premium Payments

3 PROCEEDS OF CRIME IDENTIFIED

Total Proceeds of Crime

Rs. 2.27 Crore


Insurance Policies


Two-Wheeler Vehicle



Bank Balance

4 PROVISIONAL ATTACHMENT ORDER

PAO No. 04/2026 dated 27.05.2026

Properties Attached

Rs. 7,86,955.88/-



- ✓ Insurance Policies
- ✓ Bank Balance
- ✓ Honda Activa H-Smart

5 PROSECUTION COMPLAINT FILED

Date: **29.05.2026**

Complaint filed before Special Court (PMLA), Dehradun

6 PROCEEDS OF CRIME

Identified PoC	Attached under PAO	Balance PoC
Rs. 2.27 Crore	Rs. 7,86,955.88/-	Substantially dissipated

Substantially dissipated through:

- Cash Withdrawals
- Layering through Multiple Accounts
- Cheques issued to various persons
- Insurance payments and subsequent encashment
- Transfers to third-party accounts

Prosecution Complaint filed on **29.05.2026**

Properties worth **Rs. 7,86,955.88/-** attached vide PAO No. 04/2026 dated 27.05.2026

Further investigation is in progress.